अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0–11/2013

अपीलार्थी – कल्पना देवी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1709–1/प्रो0 दिनांक 11.10.2012 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है।

इस अपीलवाद में आरोप यह है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा ने दिनांक 28.08.2012 को 11:56 बजे पूर्वाह्न में सिमरी बख्तियारपुर परियोजना के चकभारौ पंचायत के आँगनबाड़ी केन्द्र गाँधी चौक , एकपड़हा केन्द्र सं0– 17 का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केन्द्र संचालन में निम्नलिखित अनियमितताऐं पायी गयी, जो निम्न है:–

(i) केन्द्र पर लाभुक बच्चें 23 उपस्थित पाये गये

(ii) केन्द्र पर निरीक्षण के समय पोषाहार नहीं बन रहा था।

(iii) स्कूल पूर्व शिक्षा केन्द्र पर नहीं दी जा रही थी

(iv) एक भी लाभुक बच्चें पोशाक में नहीं थें

(v) तौल मशीन खराब था।

निरीक्षण के समय केन्द्र संचालन में उपरोक्त अनियमितताऐं के संबंध में केन्द्र की सेविका कल्पना देवी एवं सहायिका जानकी देवी के साथ ही महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती पुनीता कुमारी से भी कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1378–1 दिनांक 31.08.2012 से अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु नोटिश किया गया तथा उसी पत्र में यह भी अंकित किया गया कि निर्धारित तिथि 7.09.212 को सुनवाई होगीं निर्धारित तिथि को सेविका/सहायिका ने अपना लिखित स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए अपना पक्ष रखा।

इस अपीलवाद की सुनवाई में अपीलार्थी के तरफ से विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता ने भाग लिया, एवं अपना –अपना पक्ष कागजात, प्रस्तुत किए । अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा ने दिनांक 28.08.2012 को समय 11:56 बजे दिन में आँगनबाड़ी केन्द्र सं0–17 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय केन्द्र खुला था, सेविका /सहायिका दोनों अपने –अपने पोशाक में थी, निरीक्षण पंजी में निरीक्षी पदाधिकारी डी0पी0ओ0 सहरसा ने जो आरोप लगाए है, एवं उस आरोप के आधार पर जो स्पष्टीकरण मांगे है वह निरीक्षण में लिखित नहीं है, जिससे पता चलता है कि वे दिल दिमाग में यह बात पहले से तय कर लिए थें कि सेविका को दंड देना है । उन्होंने यह भी बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने अपने निरीक्षण टिप्पणी में अंकित किए है निरीक्षण के समय 23 बच्चें उपस्थित ,एवं 3 बच्चें अनामांकित उपस्थित । अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि निरीक्षण के समय उपस्थित पंजी में 29 बच्चें का उपस्थिति दर्ज था, जिसमें 23 बच्चें नामांकित का उपस्थित तो था ही शेष बचे 6 बच्चें अपना– अपना खाना के लिए थाली लाने , केन्द्र के बगल में स्थित अपना –अपना घर चले गये थे। सेविका के अनुरोध करने के उपरान्त भी डी0पी0ओ0 कुछ मिनट रूककर केन्द्र पर से चले गये। केन्द्र पर उस दिन मीनू के अनुसार पोषाहार लाभुक बच्चें खाना खाए किसी भी लाभुकों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं किया । अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा लगाया गया आरोप पूर्णतः असत्य है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि डी0पी0ओ0 सहरसा द्वारा लगाया गया आरोप कि स्कूल पूर्व शिक्षा केन्द्र पर नहीं दी जा रही थी, वह भी संही नहीं है क्योंकि डी0पी0ओ0 के निरीक्षण का समय 11:56 बजे दिन में था, जबकि स्कूल पूर्व शिक्षा का समय लाभुक को 09 बजे से 11:00 बजे दिन तक ही रहता है, 11:00 बजे तक लाभुक बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा

दे दिया गया था उसके बाद ही पूरक पोषाहार बनाने की तैयारी की गई थी।

उन्होंने (अपीलार्थी) के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि आँगनबाड़ी केन्द्र पर पोषाहार नहीं बन रहा था , यह भी आरोप असत्य एवं गलत है, क्योंकि निरीक्षण समय बच्चों को भोजन कराने का समय था, एवं मीनू के अनुसार उस दिन रसिया बना हुआ था, जो निरीक्षण पदाधिकारी ने देखा भी था केन्द्र भवन में जगह के अभाव के कारण पोषाहार जो केन्द्र से सटे बगल में रखा हुआ था, जिसका उल्लेख आरोप पत्र में नहीं किया गया है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि एक आरोप यह भी लगाया कि एक भी बच्चें पोशाक में नहीं थें ,इसके संबंध में अधिवक्ता ने बताया कि पोशाक की राशि लाभुक बच्चों को नगद दी जाती है, केन्द्र के अधिकांश बच्चें महादलित समुदाय के है। वे उपलब्ध नगद राशि को प्राप्त करने के बाद उसे अन्य मदो में खर्च कर देते है जिसकी जानकारी सेविका द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन में बराबर उच्चाधिकारी को दी जाती है, फिर भी बच्चें पोशाक में रहें इसकी भरपुर कोशीश की जा रही है। इस संबंध में लाभुक बच्चें एवं उनके अभिभावक को समय–समय पर पोशाक में रहने पर क्या फायदे होते है, जानकारी भी दी जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि एक आरोप यह भी लगाया गया कि तौल मशीन खराब होने की सूचना सेविका द्वारा लगाकर मासिक बैठक में की जाती रही है, जिसकी लिखित जानकारी भी सेविका ने डी0पी0ओ0 साहेब को दिखाई थीं, बावजूद आरोप सेविका पर लगाया गया है। जो गलत है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि सेविका पर लगाए गए आरोप के संदर्भ में वहाँ के सी0डी0पी0ओ0 मोनिका रानी एवं पर्यवेक्षिका पुनीता कुमारी से भी स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसमें दोनों ने लिखित तौर पर स्पष्ट रूप से वर्णित किए है कि केन्द्र सं0– 17 पर किसी भी तरह की अनियमितताऐं नहीं है अतः सेविका को आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाय।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं एवं निष्कर्षो के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण के समय केन्द्र खुला था 23 बच्चें लाभुक उपस्थित थे शेष बचे बच्चें 6 जिसकी उपस्थिति पंजी में उपस्थित दर्ज थी , खाना खाने के वास्ते अपने घर से वर्त्तन लाने गए थे, मीनू के अनुसार पोषाहार में रासिया बना था। जिसका पोषाहार की मात्रा का प्रतिशत 57.50% था स्कूल पूर्व शिक्षा भी दिया गया था, बच्चें

पोशाक में नहीं थे बच्चें पोशाक में रहे, सेविका द्वारा प्रयास किया जाता रहा है। शेष अन्य आरोप जो लगाए है, वे खंडित, करने योग्य है ।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा द्वारा (ज्ञापांक 1709–1/प्रो0 दिनांक 11.10.2012 में) सेविका के उपर लगाए गए 28740 रू0 में आर्थिक दंड काफी बड़ी राशि है, इतने बड़े आर्थिक दंड लगाने से सेविका के मनोबल पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, वे मुस्तैदी व लगन के साथ काम करने से आगे से परहेज करना शुरू करेंगी। उनका मनोबल कार्य करने से टुटेगा वे यह महसुस करेगी कि इतना मेहनत करने के उपरान्त भी अगर इतने बड़े आर्थिक दंड लगा ही दिया गया है तो मनोबल के साथ काम करने में अभिरूची कम हो जायेगी। अतः आर्थिक दंड को कम किए जाने की जरूरत है। अतः यह न्यायालय लगाए गए अन्य आरोंपो के ऐवज में मात्र एक महीने का पूरक पोषाहार राशि आर्थिक दंड सेविका को देती है, ये आर्थिक दंड कोषागार में चलान द्वारा विभागीय शीर्ष में जमा किया जायेगा। साथ ही केन्द्र पर लाभुक बच्चें को जो पोशाक राशि मद में जो नगद राशि उसे दिये गए है अभिभावकों के संपर्क कर पोशाक क्रय करवाना भी सेविका/सहायिका की जबाबदेही है, इससे वे मुकर नहीं सकती है। कम–कम एक –दो बच्चों से ही इसकी शुरूआत करें धीरे –धीरे यह कारवां आगे बढ़ता जायेगा। तौल मशीन की मरम्मति सरकार के द्वारा दिए गए राशि में होगा यह मरम्मति सेविका अपने मानदेय से नहीं कराईगी। चूँकि मानदेय की राशि भी सेविका को प्रर्याप्त नहीं मिलती है। जिससे मरम्मति भी कराया जाय, एवं परिवार का भरण– पोषण भी किया जाय। साथ ही सेविका (अपीलार्थी) को निर्देशित किया जाता है कि वे केन्द्र का संचालन काफी कुशलतापूर्वक निर्वहन आगे से करेंगी।

वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.4.2015.

उप–निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.4.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा